

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 23/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग,  
सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी **आँचल शर्मा**  
-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

**बनाम**

1. **हरलाल रूयल पुत्र मदन राम रूयल जाति जाट**  
प्रथम पता- पट्टा नम्बर 43, बुक नम्बर 94, ग्राम-गुनादू, ग्राम पंचायत फतेहपुरा,  
पंचायत समिति धोद, तहसील-धोद, जिला-सीकर, राजस्थान-332028  
द्वितीय पता- एट गुनादू, सिहोत बडी, सीकर, राजस्थान-332028
2. **कानी देवी पत्नि हरलाल रूयल जाति जाट**  
प्रथम पता- पट्टा नम्बर 43, बुक नम्बर 94, ग्राम-गुनादू, ग्राम पंचायत फतेहपुरा,  
पंचायत समिति धोद, तहसील-धोद, जिला-सीकर, राजस्थान-332028  
द्वितीय पता- एट गुनादू, सिहोत बडी, सीकर, राजस्थान-332028

-अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act. 2002.

**निर्णय**

दिनांक:- 22 जुलाई, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 **हरलाल रूयल पुत्र मदन राम रूयल एवं कानी देवी पत्नि हरलाल रूयल जाति जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **हरलाल रूयल** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 43, बुक नम्बर 94, ग्राम गुनादू, ग्राम पंचायत फतेहपुरा, तहसील-धोद, जिला-सीकर, राजस्थान-332028** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में दयालराम पुत्र रामुराम, पश्चिम



  
**कमर चौधरी**  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में झाबरमल पुत्र मदनलाल, उत्तर दिशा में राजेन्द्र प्रसाद एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 12,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये बारह लाख ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.11.2023 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 हरलाल रूयल पुत्र मदन राम रूयल एवं कानी देवी पत्नि हरलाल रूयल जाति जाट की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी हरलाल रूयल के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 43, बुक नम्बर 94, ग्राम गुनाठू, ग्राम पंचायत फतेहपुरा, तहसील-धोद, जिला-सीकर, राजस्थान-332028 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में दयालरराम पुत्र रामुराम, पश्चिम दिशा में झाबरमल पुत्र मदनलाल, उत्तर दिशा में राजेन्द्र प्रसाद एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये



  
कुमार चौधरी  
जिला नजिस्ट्रेट, सीकर

पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **22 जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
कमर चौधरी  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर